



प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 12.3.2014 को खाद्य सुरक्षा अधिकांशी बाड़मेर के दौरान ग़रत में भावती ट्रेडिंग कम्पनी कवास जिला बाड़मेर दोपहर 1.00 बजे पहुंचने पर में दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम कसरसिंह पुत्र सुमरसिंह जाति राजपूत निवासी मुरटिया (कवास) जिला बाड़मेर बताया। दुकान का निरीक्षण करने के दौरान दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ ही ग़ाउड इण्डाना (500 एम.एल.) 10 पैकेटों में रखा हुआ पाया गया, में मिलावट का संदेह होने पर रुपये 940/- नकद देकर 500-500 एम.एल. के कुल 04 पैकेट खरीदे। खरीद गये 04 पैकेटों पर नियमानुसार विवरण स्वीप भरकर लेबल

दिनांक 31.5.2017

निर्णय

- वर्णित:-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुमरसिंह महेश आधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 की ओर से।
3. श्री रमेश सोलंकी आधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 व 4 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 3 एक तरफ।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

- नाम (नाम)
1. कसर सिंह पुत्र सुमरसिंह जाति राजपूत निवासी मुरटिया (कवास) जिला बाड़मेर
 2. सुरेश पुत्र नैमीचंद माफत पवन सेल्स एजन्सी आई-7 कृषि मण्डली बाड़मेर
 3. ललीत कुटिया (सोल प्रो० मऊधर सेल्स कारपोरेशन) 50 केशव पथ सरल नगर वेस्टसिडल लॉडन जयपुर
 4. निशाल मारडाल पुत्र आनंद कुमार मुबारिकपुर 2 पि. एस मबाना, मरठ (फर्म इण्डाना इण्डस्ट्रीज लि० का नौमिनी)


प्रार्थी
खाद्य सुरक्षा अधिकांशी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य
अधिकांशी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीनाम


परिवाद संख्या 20/2016

न्याय निर्वाचन आधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन आधिकारी श्री ओपीओ बिनेई आर.ए.एस.



विपकाय गये। जिस पर प्रार्थी व गवाहों के हस्तक्षेप कराये गये। प्रत्येक नमूने को मौटे व खाखी कगल में लपेट कर इस पर धूप स्तीप पी.322 विपकाकर मजबूत व मौटे धागे से बांधकर बिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहों के धूप स्तीप को कक्षा करते हुए हस्ताक्षर किये। फाम नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की गयीं जिन पर खाखी विरलेषक का पता अंकित किया गया। गवाहों के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विकेला को दी गई। मौके पर ही गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्ट तैयार की गयी। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.322 जांच हेतु खाखी विरलेषक खाखी सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जाधपुर को भिजवाया गया। फाम नम्बर 06 की प्रतियां पर नमूना सील जिसका प्रयोग संपल लेते वकत नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी बाससील से सील किया जाइल बन्द किया गया। नमूने के बोध दुसरा, तीसरा व चौथा मय फाम नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में बाससील से सील कर सील अवस्था में अमिहित अधिकांशी एवं मुख्य विकिन्सा अधिकांशी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवार में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाखी पदार्थ पी गण्ड इण्डाना का नमूना पी.322 की जांच रिपोर्ट एलएस/112/एक्ट/2014/131 दिनांक 3.4.2014 को अमिहित अधिकांशी एवं मुख्य विकिन्सा एवं स्वास्थ्य अधिकांशी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार वकत खाखी पदार्थ पी गण्ड इण्डाना का नमूना अवमानक (Sub-stander) स्तर का होना पाया गया। जिसकी संसर्ग भगवती रेडिंग कम्पनी कवास जिला बाड़मेर द्वारा अधील किये जाने पर, अधील स्वीकार करते हुए पी गण्ड इण्डाना का द्वितीय नमूना जांच हेतु रेकरल खाखी लेबोरेटरी गालियाबाद को भेजा गया। रेकरल खाखी लेबोरेटरी गालियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 428/JUL/14-RAJ दिनांक 4.7.2014 अनुसार पी गण्ड इण्डाना का नमूना मिसगण्ड (Misbranded) पाया गया। उक्त प्रकरण में खाखी पदार्थ पी गण्ड इण्डाना का विकय करके खाखी सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप

- धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा आधिकारिकी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा आधिकारिकी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.322 जाँच रिपोर्ट आदि आधिकारिकी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन काईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।
2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपार्षीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अपार्षी संख्या 1, 2 व 4 के अतिवक्त उपरिस्थित हुए। अपार्षी सं० 3 एक तरफ। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "स्वायत्त आर्षक द्वारा" के तहत राजस्व कोर्ट केम्यू न्यायालय द्वारा पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं आम्नाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई। अपार्षी संख्या 1, 2 व 4 के अतिवक्त द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाने का निर्देन किया।
3. हमने प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाइसेर की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 12.3.2014 को मैसर्स भावली ट्रेडिंग कम्पनी कवास जिला बाइसेर की दूकान निरीक्षण करने के दौरान दूकान में धी ब्राण्ड इण्डाना (500 एमएल) 10 पैकेटों में पाया गया। उक्त धी ब्राण्ड इण्डाना में मिश्रण का संदेह होने पर इसका नियमानुसार नमूना लिया गया। जाँच के दौरान धी ब्राण्ड इण्डाना का नमूना पी.322 मिश्रण (Misbranded) स्तर का पाया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन है। इसलिये अपार्षीगण पर पुनर्मा आरोपित किया जाए।
4. हमने सहायक लोक अभियोजक प्रथम की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजाल तथा रेकॉर्ड फूड लेबोरेटरी गालियबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 428/JUL/14-RAJ दिनांक 4.7.2014 के अनुसार अपार्षीगण अभियुक्त द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ धी ब्राण्ड इण्डाना (500 एमएल) का संपल पी.322 जांच रिपोर्ट में मानक मिश्रण (Misbranded) पाया गया है जिसके लिये अभियुक्त अपार्षीगण दोषी प्रतीत होते हैं।



आति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.5.2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

आति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
(ओपीओ/विनोड)



अंदर-अंदर जमा करकर रसीद प्राप्त करें।

के नाम हिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 31.5.2017 के एक माह के
आभ्युक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
अपार्थी संख्या 04 पर पचास हजार रुपये मात्र शास्ति आरोपित की जाती है।
02 पर दस हजार रुपये मात्र एवं अपार्थी संख्या 03 पर पच्चीस हजार रुपये एवं
धारा 52 तहत आभ्युक्त अपार्थी संख्या 01 पर रुपये पांच हजार मात्र, अपार्थी संख्या
फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की
की धारा 26 की उप धारा 3(1)(Zf) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के
प्राधान्य किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011
52 में मिसब्रान्ड (Misbranded) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का
(Misbranded) पदार्थ बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा
2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत पाये गये मिसब्रान्ड
हुंलिया एवं निशांत मारहाण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपार्थीगण आभ्युक्त केसर, सुरेश, लतीत